112.8

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS (Department of Road Transport and Highways)

(P&M Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st June, 2006

S.O. 836(E). — In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 2 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Schedule to the said Act, namely:—

In the Schedule to the said Act, -

(i) after serial number 117 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

Serial No	National Highway No.	Description of National Highways
1	2	3
"118	227	The highway starting from Thiruchirappalli connecting Lalgudi, Kallakudi, Kizhapalur, Udaiparpalayam, Jayamkondacholapuram, Gangaikondacholapuram, Kattumannarkoil, Kumaratchi and terminating at Chidambaram in the State of Tamil Nadu."

[No. NH-14012/3/2006-P&M] PRABHAKAR, Dy. Secy.

Note:— The Schedule to the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) was published in the Official Gazette with the said Act *vide* Notification number 1180, dated the 4th April, 1957 and was last amended *vide* Notification No. S.O. 460(E) dated 30th March, 2006.

(iii) क्रम संख्या 3क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन
1	2	3
''3ख	2ন্ডা	पश्चिम बंगाल राज्य में तलीत-गुस्कार-भेडीया को जोड़ते हुए वर्धमान से आरंभ होने वाला और बोलपुर पर समाप्त होने वाला राजमार्ग!!''

(iv) क्रम संख्या 3ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

क्रम संख्या	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का वर्णन
1	2	3
''3ग	2ग	बिहार राज्य में अकबरपुर-जदुनाथपुर को जोड़ते हुए डेहरी से आरंभ होने वाला और बिहार/उ.प्र. सीमा पर समाप्त होने वाला राजमार्ग।''

[सं.रा.रा.-14012/3/2006-पी एंड एम] प्रभाकर, उप सचिव

टिप्पणी:- राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की अनुसूची में भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. 1180, तारीख 4 अप्रैल, 1957 द्वारा उक्त अधिनियम के साथ प्रकाशित की गई थी और उसमें संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 460(अ), तारीख 30 मार्च, 2006 द्वारा किया गया था।